फर्द अहकाम

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा**

बाबूलाल बनाम कंचन वगै0

किस्म मुकदमा–दावा तकास्मा व स्थाई निषे0 मु0नं0– 171/2020

पीठासीन अधिकारी– डॉ0 नवनीत कुमार (आर0ए0एस0)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
16/12/25	पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष दावा बाबत तकास्मा एवं स्थाई निषे0 का पक्षकारान की सहखातेदारी भूमि खसरा नम्बर 71, 86, 90, 875, 892, 893 का तकास्मा बाई मीटस एण्ड बाउण्डस अनुसार किया जावे। न्यायालय हाजा द्वारा वादी का वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर नियमानुसार सुनवाई की गई एवं प्रकरण में दिनांक 01.12.2021 को प्राथमिक डिक्री जारी कर सरस नरस एवं मौकानुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार सिकराय को आदेशित किया गया। तहसीलदार सिकराय द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किए जिस पर वादी द्वारा रास्ते के संबंध में आपत्ति पेश की, न्यायालय द्वारा तहसीलदार को पुनः आपत्ति का अवलोकन करते हुए पुनः विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु लिखा गया। इस प्रकार प्रकरण में तहसीलदार द्वारा तीन बार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किए गए एवं वादी द्वारा तीनों बार पेश विभाजन प्रस्ताव पर ही रास्ते के संबंध में आपत्ति पेश की, जिन्हें न्यायालय द्वारा स्वीकार कर पुनः तहसीलदार को विभाजन प्रस्ताव आपत्ति का अवलोकन करते हुए तैयार करने को लिखा गया। तहसीलदार द्वारा मौका फर्द दिनांक 18.06.2025 पेश की जिसका अवलोकन किया, जिसमें अंकित किया गया है कि पूर्व में खसरा नम्बर 267, 277, 276 में से गै0मु0 रास्ता प्रस्तावित किया गया, जिसमें से खसरा नम्बर 276 में जो रास्ता प्रस्तावित किया गया उस पर वादी द्वारा आपत्ति जाहिर की गई, खसरा नम्बर 276 में जो रास्ता प्रस्तावित किया गया उसे एल स्थिति में दिए जाने के दो मुख्य कारण है। प्रथम यह रास्ता दो खातेदारो के लिए जाता है, द्वितीय यदि इस रास्ते को बिल्कुल सीधा किया जाता है तो अन्य खातेदारों के पाटोल एवं कुण्ड लैटरिंग बाथरूम बने हुए है। वादी ने मौके पर बताया कि इस रास्ते को एल सेप में ना करके तीरछा दे दिया जाए किन्तु इस प्रकार नहीं दिए जाने के दो प्रमुख कारण है–	लगातार

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

काबूलाल / कंचन कोर

मु० नं०– 171/2020

प्रथम– दूसरे खातेदार को इस रास्ते का लाभ नहीं मिलेगा एवं जिस खातेदार के खसरे से गुजरेगा उसकी जोत/खेत की स्थिति सही नहीं रहेगी, एक छोटा भाग त्रिभुज जैसी आकृति ले लेगा जो कि अनुकुल नहीं है। द्वितीय– वादी का कहना है कि जो एल आकार में रास्ता दिया गया है उसमें से वादी के मकान में साधन नहीं आ जा सकते है क्योंकि चौडाई कम होने के कारण साधन घुम नहीं पाते है। इस पर सह खातेदार संयुक्त रूप से रास्ता की चौडाई 5–6 मीटर कर देने पर सहमत हो गए किंतु वादी सहमत नहीं हुआ है। रिपोर्ट सारांश में यह अंकित किया गया है कि वादी पूर्व में तीन बार प्राथमिक डिक्री बनवा चुका है और तीनों बार ही असहमत रहा है, अब वर्तमान में जिस प्रकार रास्ता लेना चाहता है वह जोत विभाजन एवं मौका स्थिति अनुसार दिया जाना अनुकूल नहीं है जो प्राथमिक डिक्री रिपोर्ट 18.09.2023 को बनाई गई थी वही ही उचित है।

वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात एवं मौका फर्द पेश की गई जिसका जवाब प्रतिवादीगण द्वारा पेश किया गया है। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई, पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव तथा आपत्ति का अवलोकन किया गया, प्रकरण में तहसीलदार द्वारा बार–बार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किए गए है तथा बार–बार ही वादी द्वारा आपत्ति पेश की गई है। वादी द्वारा मुख्यत आपत्ति रास्ते के संबंध में पेश की है। इसलिए लगातार आपत्तियों को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण में स्वंय मौका निरीक्षण किया गया एवं प्रस्तावित रास्ते का अवलोकन किया गया। वादी अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु जिस बिंदु से सीधा रास्ता चाहता है उसमें प्रतिवादी का पक्का निर्माण प्रभावित होता है एवं जिस बिन्दु से तिरछा रास्ता चाहता है उसमें प्रतिवादी की भूमि का विभाजन इस प्रकार होता है कि एक त्रिभुज की आकृति का छोटा टुकडा शेष रहता है जो कि उचित नहीं है न ही इस प्रकार विभाजन किया जाना उचित है। तहसीलदार द्वारा एल आकृति में जो रास्ता दिया गया है वह पूर्णत: उचित एवं न्यायोचित है जिससे प्रतिवादी के खेत के अनुचित टुकडे भी नहीं होते है एवं आसानी से बिना किसी दुविधा के वादी की भूमि तक पहुंचा जा सकता है तथा इस रास्ते से मौके पर वादी के मकान का निर्माण भी प्रभावित नहीं होता है ना ही मकान में घुमाव इत्यादि की कोई परेशानी होती है। वादी द्वारा आपत्तियां महज अनावश्यक बिन्दुओं पर पेश किया जाना एवं न्यायालय समय जाया करने की नियत से पेश किया जाना प्रतीत होता है तथा तहसीलदार सिकराय द्वारा 18.09.2023 को जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किए गए है, वे पूर्णत नियमानुसार एवं मौकानुसार सही है।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा

बाबूलाल / किचन

प्र०स० - 171/2020 ③

जिनके संबंध में तहसीलदार द्वारा भी रिपोर्ट पेश की गई है इसलिए उक्त विभाजन प्रस्ताव सही है जिन्हें स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः तहसीलदार सिकराय द्वारा पत्रांक भू0अ0/2023/604 दिनांक 27.09.2023 द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव जो कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 18.09.2023 को तैयार किए गए है, उन्हें स्वीकार कर दावा अंतिम डिक्री किया जाता है। तहसीलदार विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। तथा प्रतिवादी को जरिए स्थायी निषे0 से पाबंद किया जाता है कि वह वादी के हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिकराय जिला दौसा